छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010 (फाल्गुन-7,1931)
समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री चैतराम साहू, सदस्य, भाटापारा क्षेत्र में जल एवं वायु प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री संतोष बाफना, सदस्य, एन.एम.डी.सी. की उदासीनता के कारण नगरनार स्टील प्लांट स्थापित नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नंद कुमार पटेल, सदस्य, अंबिकापुर जिले के पहाडी कोरवा जाति के लोगों को शासन की विकास योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखण्ड अंतर्गत विकलांग तथा निराश्रित लोगों को पेंशन नहीं मिलने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जशपुर जिले के फरसाबहाल विकासखण्ड के श्रमिकों की गोवा में मौतें होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश के कन्या छात्रावासों में छात्राओं की मौत होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील में नशीले पदार्थों की तस्करी किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जशपुर जिले के कोरवा जनजाति के एक व्यक्ति की टी.बी. से मौत होने की ओर आदिमजाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये राशन कार्ड बनाने में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, अंबिकापुर जिले में शासकीय दुकानों से राशन न मिलने से लोगों द्वारा आत्महत्या की जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, खल्लारी विधान सभा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ के कोतवाली थाना में पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला की पिटाई किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में पर्यावरण प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ व अम्बिकापुर जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में नकली नोटों का कारोबार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री अमरजीत भगत, सदस्य, सरगुजा जिले के बतौली थाना के नगर निरीक्षक पुलिस द्वारा बलात्कार के आरोपी को संरक्षण दिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में बेमौसम बरसात से फसलों को नुकसान होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 3 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

4. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय			
3 घंटे 30 मिनट	मांग संख्या	24	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
	मांग संख्या	67	लोक निर्माण कार्य- भवन
	मांग संख्या	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	मांग संख्या	27	स्कूल शिक्षा
	मांग संख्या	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
	मांग संख्या	26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
	मांग संख्या	37	पर्यटन
	मांग संख्या	28	राज्य विधान मण्डल

5. अशासकीय संकल्प

1 घंटा (1) श्री महंत रामसुन्दर दास,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं आंतरिक सड़कों के दोनों किनारों में वृक्षारोपण किया जाकर उनका संरक्षण, संवर्धन किया जाय.''

1 घंटा (2) श्री देवजी पटेल,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों का सरलीकरण किया जाय."

30 मिनट (3) डॉ. हरिदास भारद्वाज,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 341 एवं 342 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची सरल क्रमांक-41 पर सवर, सवरा के साथ संवरा एवं सौंरा के अतिरिक्त सौरा, सउरा, सहरा को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाय.''

रायपुर
दिनांक 25 फरवरी, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.